<u>बजट भाषण</u>

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रजातंत्र के इस पावन मंदिर में लगातार चौथी बार प्रदेश की जनता को समर्पित वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुये मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। गर्व इसलिये कि मात्र तीन वर्ष की अल्प अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने में सफलता प्राप्त की है। **हम ही नहीं कहते, जमाना कहता है।** तीन वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश को फिसड्डी, बीमारू, पिछड़ा, जर्जर, बदहाल आदि संज्ञाओं से सम्बोधित किया जाता था। खजाना खाली था, कर्ज भारी था, ओव्हर ड्राफ्ट की आक्सीजन से प्रदेश घिसट–घिसट कर रेंग रहा था। उसी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के सर्वेक्षण के आधार पर, तीन वर्षों में सबसे तेज प्रगति वाले प्रदेश के सम्मान से नवाजा जाता है। 13 वर्षों में पहली बार ओव्हर ड्राफ्ट न लेने वाला, 32 वर्षों में पहली बार अर्थोपाय का भी उपयोग न करने वाला तथा लम्बी अवधि के बाद राजस्व आधिक्य वाला प्रदेश बन जाता है। रोजगार गारंटी योजना में अव्वल, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उत्कृष्ट, दलहन–तिलहन एवं सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम हमारा मध्य प्रदेश है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की कोषालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना को सर्वश्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी के मॉडल के रूप में पुरूस्कृत किया गया है। हाल ही में गुवाहाटी में सम्पन्न राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिता में 12 स्वर्ण सहित 63 पदकों की वर्षा से मध्य प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां एक ओर अधोसंरचना का तीव्र गति से विस्तार हुआ है वहीं दूसरी ओर दरिद्र नारायण को राहत पहुंचाने वाली अनेक योजनायें शासन ने प्रारंभ की हैं। समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास के लिये भरपूर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अपने कर्मचारियों के दुख–दर्द के प्रति संवेदनशील इस सरकार ने उन्हें अभूतपूर्व राहतें प्रदान की हैं।

2. लोग कहते हैं कि यह चमत्कार है। लेकिन यह चमत्कार पुरूषार्थ एवं प्रज्ञा के साथ किये गये प्रयासों का परिणाम है। हमने महान कवि दुष्यन्त की इस उक्ति को चरितार्थ किया है – ''**कौन कहता है कि आसमॉ में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।**'' हम अनुप्राणित थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस उपदेश से – ''**भविष्य से डरिये मत, बल्कि उसके निर्माण में रूचि लीजिये, संजोये सपनों को संवारिये, कल्पना को कर्म से गढ़िये और योजना को युक्ति से पूरा कीजिये ....हमें तो अपनी राह बनाना है। जिस ओर चलेंगे वही रास्ता होगा। चरैवेति–चरैवेति।**''

राष्ट्र के जन नायक श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में,

हर चुनौती से दो हाथ मैने किये,
आंधियों में जलाये हैं, बुझते दिये ।

आओ युग के सपनों को साकार करें हम,
मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरे हम ।

3. तीन वर्ष पूर्व प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा लोक वित्त की ट्रेन जो पटरी से उतर कर क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसे नवनिर्मित कर न केवल पुनः पटरी पर लाये हैं अपितु तेज गति से निरन्तर मंजिल की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यह सब अकल्पनीय उपलब्धियां इस तथ्य के बावजूद हैं कि हमारी सरकार को पिछली सरकार की ढपोरशंखी घोषणाओं को इन तीन वर्षों में रूपये 3,077 करोड़ का प्रावधान करके पूरी करनी पड़ी। वित्तीय अनुशासन, चुस्त प्रबंधन तथा प्रदेश की सात करोड़ जनता की सद्भावनाएं हमारे लिये वरदान सिद्ध हुई हैं। कार्य दुष्कर था किन्तु हौसला बुलंद था।

थमे पानी में तो कमसिन भी तैर लेते हैं,
वक्त तूफॉ के मौजों में मचलकर देखो ।

4. राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने के कारण प्रदेश को ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पूरी की पूरी प्रोत्साहन राशि रूपये 293.14 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त करने में सफलता मिली है। बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकन एवं राहत योजना अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिये रूपये 363.06 करोड़ ऋण राहत का लाभ प्रदेश प्राप्त कर चुका है तथा वर्ष 2006–07 के लिये इतनी ही राशि की ऋण राहत प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर चुका है। अगले तीन वर्ष भी हम प्रति वर्ष इतनी ही ऋण राहत प्राप्त करेंगे।

वर्ष 2006–07 का पुनरीक्षित अनुमान

5. पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 24,859.86 करोड़ तथा राजस्व व्यय रूपये 23,096.48 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 18,477.48 करोड़ है। आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 11,033.87 करोड़, बजट अनुमान से रूपये 636.13 करोड़ अधिक है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 1,763.38 करोड़, बजट अनुमान से रूपये 793.16 करोड़ अधिक है।

वर्ष 2007–08 का बजट अनुमान

6. वर्ष 2007–08 की कुल प्राप्तियां रुपये 32,812.38 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 32,694.25 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेनदेन रुपये 118.13 करोड़ होगा।

राजस्व प्राप्तियां

7. वर्ष 2007–08 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 27,995.84 करोड़ अनुमानित हैं, जो वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 3,135.98 करोड़ अधिक हैं। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्ति रुपये 11,716.31 करोड़, करेतर राजस्व से प्राप्ति रुपये 2,427.03 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से की प्राप्ति रुपये 8,385.28 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान से प्राप्ति रुपये 5,467.22 करोड़ है।

8. वर्ष 2007–08 में राज्य करों में बिक्री, व्यापार आदि कर से रूपये 5,900 करोड़, राज्य उत्पाद शुल्क से रूपये 1,700 करोड़, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क से रूपये 1,400 करोड़ एवं माल यात्रियों पर कर से रुपये 800 करोड़ प्राप्तियां अनुमानित हैं।

आयोजनेतर व्यय

9. आयोजनेतर व्यय रुपये 19,576.12 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2006–07 के पुनरीक्षित अनुमान से केवल 5.95 प्रतिशत की वृद्धि आयोजनेतर व्यय पर नियंत्रण को दर्शाती है। इस नियंत्रण को बनाये रखते हुये परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सड़कों के रख–रखाव के लिये वर्ष 2002–03 में मात्र रूपये 224 करोड़ का व्यय किया गया था। इसकी तुलना में वर्ष 2007–08 में रूपये 484 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भवनों के संधारण व्यय के लिए रूपये 270.83 करोड़ का प्रावधान है।

आयोजना व्यय

10. विगत तीन वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजना हेतु संसाधनों की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2007–08 में कुल आयोजना व्यय हेतु रूपये 13,118.13 करोड़ का प्रावधान है। राज्य आयोजना व्यय हेतु प्रावधान रूपये 11,552.21 करोड़, वर्ष 2006–07 के बजट अनुमान से 27.37 प्रतिशत अधिक है। राज्य आयोजना अन्तर्गत सिंचाई, सड़क, बिजली जैसी भौतिक अधोसंरचनाओं को प्राथमिकता दी गई है और 42 प्रतिशत राशि इन्हीं तीन मदों पर प्रस्तावित है।

11. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये रूपये 2,589.01 करोड़ तथा अनुसूचित जाति विकास उपयोजना के लिये रुपये 1,760.55 करोड़ का प्रावधान है। यह योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड से अधिक तथा वर्ष 2006–07 के बजट अनुमान से क्रमशः 21.38 प्रतिशत तथा 31.96 प्रतिशत अधिक है।

12. मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी है कि दिनांक 24 फरवरी, 2007 को योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की चर्चा में आयोग द्वारा प्रदेश की उपलब्धि को देखते हुये वर्ष 2007–08 के लिये राज्य आयोजना का आकार रूपये 12,011 करोड़ निर्धारित किया है। आयोग द्वारा निर्धारित आकार के अनुसार विकास योजनाओं के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

राजस्व आधिक्य

13. कुल राजस्व व्यय रुपये 25,989.11 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 27,995.84 करोड होने से मुझे सदन को यह भी सूचित करने में हर्ष है कि लगातार तीसरे वर्ष राजस्व आधिक्य अनुमानित है। यह आधिक्य रूपये 2,006.73 करोड़ होगा। राजस्व संग्रहण प्रशासन में सुधार तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय पर नियंत्रण के कारण राजकोषीय स्थिति में यह सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप अधोसंरचना निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

राजकोषीय घाटा

14. वर्ष 2007–08 का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.34 प्रतिशत अनुमानित है जो वर्ष 2006–07 में 3.69 प्रतिशत था।

सड़क

15. वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में लगभग 5000 किलोमीटर सड़क का उन्नयन किया गया था, जबकि वर्ष 2004 से 2006 की अवधि में लगभग 12500 किलोमीटर सड़क का उन्नयन किया गया है। सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। सड़कों के निर्माण हेतु आयोजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लिये रूपये 1,732.72 करोड़ का बजट प्रावधान, वर्ष 2006–07 के बजट प्रावधान की तुलना में 47.13 प्रतिशत अधिक है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अभिकरण को सीधे प्राप्त होने वाली राशि, मंडी सड़कें तथा निजी भागीदारी से निर्मित की जाने वाली सड़कों पर होने वाला व्यय इसके अतिरिक्त है।

16. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से राज्य राजमार्गों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा रहा है। एशियन विकास बैंक से ऋण सहायता प्राप्त मध्यप्रदेश स्टेट रोड सेक्टर डेव्हलपमेन्ट प्रोग्राम का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इसके अंतर्गत दो राज्य राजमार्गों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 22 अन्य का निर्माण प्रगति पर है। इसके लिये रूपये 255.36 करोड़ का प्रावधान है। एशियन विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से 27 अन्य राज्य राजमार्गों तथा 4 मुख्य जिला सडकों का विकास किया जा रहा है, इसके लिये रूपये 445.52 करोड़ का प्रावधान है।

17. मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन हेतु रूपये 100 करोड़ का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सड़कों हेतु रूपये 102.62 करोड तथा पर्यटन महत्व की सड़कों के लिये रूपये 52 करोड़ का प्रावधान है। जिला योजना अंतर्गत सड़क तथा पुल निर्माण हेतु रूपये 587 करोड़ का प्रावधान है।

18. सड़कों के विकास में निजी पूंजीनिवेश आकर्षित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं और मुझे सदन को यह बताने में खुशी है कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसकी रूपये 1,022.52 करोड़ लागत की 5 सड़क परियोजनाओं को भारत सरकार ने वायबिलिटी गैप फंडिंग व्यवस्था अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। जिन 5 सड़कों के लिए निविदा प्राप्त हो गयी हैं, वे चन्द्रपुर–बड़वानी, मटकुली–छिन्दवाड़ा, मंदसौर–सीतामऊ (राजस्थान सीमा तक), भोपाल–देवास तथा जावरा–नयागांव हैं। जावरा–नयागांव मार्ग के लिए निजी भागीदार ने राज्य शासन से मदद लेने की बजाय रूपये 36 करोड़ प्रतिवर्ष देने का प्रस्ताव किया है। अधोसंरचना निर्माण में निजी भागीदारी की हमारी रणनीति की परिपक्वता का यह द्योतक है।

19. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 12,547 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। आगामी वर्ष 2007–08 में 4 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम है।

20. ग्रामीण सड़कों के मास्टर प्लान के अध्ययन से यह बात सामने आयी है कि प्रदेश में 2,574 गांव ऐसे है, जो मुख्य मार्ग से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मापदण्डों के कारण इस योजना अंतर्गत इन ग्रामों को जोड़ना संभव नहीं है। इन ग्रामों को राज्य के स्वयं के संसाधनों से बारहमासी सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

ऊर्जा

21. वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में प्रदेश में मात्र 60 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता निर्मित की गई थी जबकि वर्ष 2004 से 2006 की अवधि में 1,895 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता निर्मित की गई है। ऊर्जा क्षेत्र के लिये प्रावधान रूपये 1,518.20 करोड़ है जो वर्ष 2006–07 के बजट प्रावधान से 26.56 प्रतिशत अधिक है।

22. बिरसिंहपुर ताप विस्तार इकाई को मार्च, 2007 में तथा अमरकंटक ताप विस्तार इकाई को माह जुलाई, 2007 में क्रियाशील करने का लक्ष्य है। ओंकारेश्वर परियोजना अंतर्गत जल विद्युत संयत्र इकाईयां अप्रैल, 2007 से क्रियाशील हो जायेंगी। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में मांग तथा आपूर्ति का अन्तर समाप्त हो जायेगा। सारणी ताप विस्तार इकाई तथा मालवा ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता के विकास हेतु रूपये 578.86 करोड़ का प्रावधान है।

23. बिजली उत्पादन हेतु निजी पूंजीनिवेश आकर्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की नीति को अधिक आकर्षक बनाने के लिये आवश्यक संशोधन किये गये हैं। प्रदेश में नैसर्गिक संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये व्यापारिक विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में 9 कम्पनियों ने राज्य शासन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये हैं, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य में रुपये 37,350 करोड़ की लागत से 8,800 मेगावाट की विद्युत परियोजनाएं स्थापित होने की संभावना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सीधी जिले की सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिये भूमि आवंटित कर दी गई है। इस परियोजना से राज्य को 1,500 मेगावाट बिजली प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर वर्ष 2011–12 तक मिलना संभावित है।

24. विद्युत पारेषण तथा वितरण प्रणाली में पर्याप्त पूंजीनिवेश न होने के कारण प्रदेश में वितरण हानि का स्तर राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा अधिक रहा है। इसका विपरीत प्रभाव बिजली की दरों पर पड़ता है। हानि के स्तर को कम करने के लिये पारेषण तथा वितरण प्रणाली का उन्नयन आवश्यक है। इसके लिये एशियन विकास बैंक से लगभग रूपये 2,770 करोड की सहायता प्राप्त की जा रही है। पारेषण तथा वितरण प्रणाली संबंधी परियोजनाओं के लिये रूपये 851.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

<u>कृषि एवं सिंचाई</u>

25. कृषि विकास के लिये किसानों से परामर्श कर योजना व नीति निर्धारण के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान पंचायत आयोजित की है। किसानों के कल्याण के लिये उपाय सुझाने हेतु **कृषक आयोग** का गठन किया गया है।

26. कृषि उत्पादन वृध्दि दर को बढ़ाने के लिये 3 वर्ष में कृषि ऋण को वर्ष 2003–04 के स्तर से दुगना करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष 2005–06 में ही कर ली गई है तथा लगभग रूपये 7000 करोड़ का कृषि ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं व्दारा उपलब्ध कराया गया है। शासन ने सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से किसानों को **7 प्रतिशत की दर** से कृषि ऋण उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान के रूप में सहायता देने हेतु आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

27. विगत तीन वर्षों में 3.86 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। वर्ष 2007–08 में सिंचाई कार्यों हेतु बजट प्रावधान रूपये 1,792.30 करोड़ है, जिसमें 1,076.44 करोड़ वृहद् के लिये, मध्यम के लिये रूपये 256.16 करोड़ एवं लघु के लिये रूपये 404.62 करोड़ हैं। इस राशि में वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिये प्रस्तावित राशि रूपये 300.92 करोड़ भी सम्मिलित है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में आदिवासी कृषकों को लाभांवित करने वाली लघु सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित कराने में हमें सफलता मिली है।

28. माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जल संग्रहण के काम को जन सहयोग से जलाभिषेक अभियान के रूप में भी शासन ने वर्ष 2006–07 में प्रारंभ किया है। खेत तालाब योजना की लोकप्रियता को देखते हुये सरकार ने अपेक्षाकृत थोड़े बड़े तालाबों के निर्माण हेतु **बलराम ताल योजना** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। इस योजना अंतर्गत किसानों को शासन से अधिकतम रूपये 50,000 प्रति तालाब अनुदान उपलब्ध होगा। माइक्रो माइनर इरिगेशन अन्तर्गत रूपये 39.29 करोड़ का प्रावधान है।

<u>ग्रामीण विकास</u>

29. ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिये रूपये 2,529 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2006–07 के बजट अनुमान से 18.62 प्रतिशत अधिक है।

30. ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन हेतु दो विशेष कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ किये गये थे। प्रदेश के 24 उत्तरी जिलों में डी.पी.आई.पी. कार्यक्रम तथा आदिवासी बाहुल्य जिलों में ग्रामीण आजीविका परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। स्वतंत्र अध्ययन से यह पता चला है कि डी.पी.आई.पी. की इस परियोजना से लाभांवित परिवारों की आय में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परियोजना की सफलता को देखते हुये डी.पी.आई.पी. द्वितीय चरण का क्रियान्वयन वर्ष 2007–08 से किया जाना प्रस्तावित है।

31. इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवासहीन की केन्द्र सरकार की परिभाषा अनुसार कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब ग्रामीण आवासहीन नहीं माने गये हैं। राज्य सरकार का यह आग्रह रहा है कि राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुये आवासहीन की परिभाषा संशोधित की जाय और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवासहीन माना जाय। परन्तु भारत सरकार द्वारा इसे मान्य न करने से राज्य सरकार ने ऐसे गरीब अनुसूचित जाति व जनजाति के आवासहीन परिवारों के लिये **अपना घर** योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस हेतु रूपये 32 करोड़ का बजट प्रावधान है।

32. गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से प्रदेश में वर्तमान में लगभग 96 हजार स्वसहायता समूह गठित हैं। इन स्व–सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिये परिसंघ का गठन प्रस्तावित है। यह परिसंघ न केवल आजीविका संसाधनों का बेहतर उपयोग करेगा बल्कि समूहों को विपणन की बेहतर व्यवस्था भी दिला सकेगा। इस हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। श्री माधव सदाशिव गोलवलकर जी के शब्दों में –

'' **वास्तव में समाज का यही उच्चतम धर्म है कि अपने प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह कितना ही निम्न स्तर का क्यों न हो, समाज में सम्मान का एवं उपयोगी स्थान प्राप्त करा दें।** ''

पशुपालन

33. राज्य में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में पशुपालन गतिविधियों का योगदान एक चौथाई से अधिक है। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार की दृष्टि से भी पशुपालन का विशेष महत्व है। पिछले कई वर्षों से पशु चिकित्सा संबंधी नवीन संस्थाओं की स्थापना की उपेक्षा हुई थी। पशुपालन गतिविधियों के विस्तार के लिये पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार एवं उन्नयन आवश्यक है। इस दृष्टि से सरकार ने रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने, नवीन पशु औषधालयों की स्थापना तथा वर्तमान में संचालित पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण तथा पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में

उन्नयन करने का निर्णय लिया है। इसके लिये रूपये 29.61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

उद्योग

34. औद्योगिकीकरण के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित किये जाने के उद्‌देश्य से सरकार ने औद्योगिक संवर्धन नीति, 2004 अंगीकृत की है और अधोसंरचना में सुधार किया है। परिणामस्वरूप उद्यमियों द्वारा भारत सरकार के समक्ष दाखिल किये जाने वाले इन्डस्ट्रियल एंटरप्रिन्योर मेमोरेन्डम की संख्या में विगत तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में प्रदेश के लिये दाखिल कुल 213 मेमोरेन्डम अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश मात्र रूपये 3,231 करोड़ था। जबकि वर्ष 2004 से अब तक कुल 466 मेमोरेन्डम दाखिल किये गये हैं, जिनके अंतर्गत प्रस्तावित पूंजीनिवेश रूपये 37,767 करोड़ है।

35. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर द्वारा विकसित मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड. इन्दौर तथा क्रिस्टल आई.टी. पार्क इन्दौर भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड. ग्वालियर, मेरीकेप्स लिमिटेड इन्दौर द्वारा प्रस्तावित आई.टी.एस.ई. जेड. इन्दौर, पार्श्वनाथ डेव्लपर्स द्वारा प्रस्तावित आई.टी.एस.ई.जेड. इन्दौर तथा हिंडालको इन्डस्ट्री द्वारा प्रस्तावित एल्यूमीनियम एस.ई.जेड. सीधी को भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

36. भारत ओमान रिफायनरी द्वारा निर्माणाधीन बीना रिफायनरी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। बीना में पेट्रो केमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भी सरकार प्रयत्नशील है।

पर्यटन

37. विपुल प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत सम्पन्न अपने प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। जल क्रीड़ा एवं रोमांचक पर्यटन की सुविधायें विकसित की जा रही हैं। पर्यटन के महत्व की सड़कों का विकास किया जा रहा है। भोपाल एवं इन्दौर के हवाई अड्‌डों के उन्नयन हेतु अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था की गई है।

नगरीय कल्याण

38. नगरीय अधोसंरचना विकास तथा सेवाओं में सुधार कार्य को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। शहरी विकास हेतु रूपये 904.47 करोड़ का

प्रावधान है, जो वर्ष 2006–07 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग दोगुना है। इसमें एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रदेश के 4 नगरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये रूपये 203.10 करोड़ की राशि शामिल है।

39. जवाहरलाल नेहरु शहरी पुनर्नवी मिशन अंतर्गत उज्जैन, इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिए केन्द्र सरकार से रुपये 1,492 करोड लागत की 31 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें प्रमुख रूप से जबलपुर शहर हेतु रूपये 150 करोड़ की जल मल निकासी योजना, इन्दौर की रूपये 307.17 करोड़ की जल मल निकासी परियोजना तथा भोपाल एवं इन्दौर शहर की बस रेपिड ट्रान्सपोर्ट परियोजनायें क्रमशः रुपये 237.76 करोड़ एवं रूपये 98.48 करोड़ शामिल हैं। इन शहरों में गरीबों के लिये 32,313 आवासों के निर्माण की योजनायें भी स्वीकृत हुई हैं।

40. छोटे मंझौले नगरों की शहरी अधोसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत जल प्रदाय हेतु 19 परियोजनाओं तथा जलमल निकासी हेतु 7 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार हेतु 20 शहरों में लगभग 14 हजार पांच सौ आवास निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

41. भोपाल नगर हेतु नर्मदा जल प्रदाय योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस हेतु वर्ष 2007–08 के बजट में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश के अन्य शहरों में जल प्रदाय योजनाओं हेतु रुपये 34.89 करोड़ का प्रावधान है।

42. सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु चिन्तित है। क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विकास योजनायें तैयार करने के लिये बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा

43. शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शाला से बाहर छात्रों की संख्या 2 लाख 72 हजार से घटकर मात्र 72 हजार रह गई है। अशासकीय संस्थाओं द्वारा तैयार तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा जारी "शिक्षा की वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन 2006" के अनुसार प्रदेश में बुनियादी पठन और अंकगणित के स्तर में सभी कक्षाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

44. स्कूल शिक्षा के लिये आयोजना अंतर्गत रूपये 1,042.85 करोड़ का प्रावधान है जिसमें से रूपये 726.53 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग के लिये तथा रूपये 316.32 करोड़ अनुसूचित जाति, जन जाति विकास विभाग के लिये है।

प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिये सरकार कृतसंकल्प है। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है परन्तु अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बालिकाओं का नामांकन अभी भी अन्य वर्गों की तुलना में कम है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

45. सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2006–07 के लिये रूपये 1,800 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना की तुलना में वर्ष 2007–08 हेतु रूपये 2,200 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। इस हेतु राज्यांश के रुप में रुपये 550.17 करोड़ का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा उपकर के रूप में संग्रहित संपूर्ण राशि अपने स्तर पर ही रोक ली जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के लिये राज्यांश 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। हमारा मानना है कि राज्यांश सीमा में प्रस्तावित वृद्धि से सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

46. वर्ष 2006–07 में प्रदेश की सभी भवन विहीन शासकीय प्राथमिक शालाओं के लिये भवन निर्माण स्वीकृत किये जा चुके हैं और इनका निर्माण प्रगति पर है। आगामी वर्ष में सभी भवन विहीन मिडिल स्कूल के लिये भवन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है। इस क्रम में 3,518 मिडिल स्कूल के लिये भवन वर्ष 2007–08 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

47. वर्ष 2007–08 में 100 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में और 40 हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन का कार्यक्रम है। शासकीय हाईस्कूलों की अधोसंरचना में सुधार लाने हेतु 127 हाई स्कूलों के भवन अथवा अतिरिक्त कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है। 71 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अधोसंरचना में सुधार प्रस्तावित है।

48. छात्रावास तथा आश्रम में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र–छात्राओं को देय शिष्यवृत्ति में विगत 10 वर्षों से वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में यह दर क्रमशः रुपये 350 एवं रूपये 360 प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः रुपये 500 एवं रूपये 525 प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए अभिभावक की नियत आय सीमा का भी पुनरीक्षण किया गया है जिससे अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। विदेश में उच्च शिक्षा हेतु पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

49. अनुसूचित जन जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को अध्ययन स्थल पर ही आवासीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 50 सीटों वाले 20 नये आश्रमों की स्थापना तथा पूर्व से संचालित आश्रम शालाओं में एक हजार सीटों की

वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 2 पोस्ट–मैट्रिक तथा 20 प्री–मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना प्रस्तावित है। पूर्व से संचालित 20 हाई स्कूल, 20 छात्रावासों और 40 आश्रमों के लिये भवन निर्माण भी किया जाएगा।

50. वर्तमान में हाईस्कूल में प्रवेश लेने वाली उन बालिकाओं को साईकिल प्रदाय की जा रही है, जो अन्य गांव में पढ़ने जाती हैं। इस योजना में अब तक लगभग 1,18,000 साईकिल प्रदाय की जा चुकी हैं। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से कक्षा 6 में पढ़ने जाने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं को भी मुफ्त साईकिल प्रदाय की जाये। इससे लगभग 1,40,000 बालिकायें लाभांवित होंगी। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षा 8 तक नामांकित होने वाली सभी बालिकाओं को मुफ्त गणवेश देना प्रस्तावित है जिसके लिये रूपये 13.28 करोड़ का प्रावधान है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करना भी प्रस्तावित है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिये रूपये 37.81 करोड़ का प्रावधान है।

51. अभी तक प्राथमिक शालाओं में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। अब इस बंधन को समाप्त करते हुए प्राथमिक शाला में सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शालाओं में इस सुविधा को पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले समस्त परिवारों के बालकों तक विस्तारित किया जा रहा है।

52. बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ–साथ बहुमुखी प्रतिभाओं के विकास हेतु भोपाल में संचालित बाल भवन की तर्ज पर प्रदेश के अन्य संभागीय मुख्यालयों में भी बाल भवन की स्थापना प्रस्तावित है।

53. प्रारंभिक चरण में ही छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिये जनभागीदारी से आई.टी.ई.एल.एल. नाम से योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक हाईस्कूल को रुपये 5 लाख की राशि दी जायेगी। डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में इलेक्ट्रानिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए रुपये 2.50 करोड़ की सहायता दी जायेगी।

54. **गांव की बेटी** योजना की लोकप्रियता को देखते हुये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कालेज में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है।

55. प्रदेश के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर साईंस तथा फैशन टेक्नालॉजी के नये रोजगार मूलक पाठ्यक्रम आरंभ किये गये हैं। छात्रों को कैरियर चुनने में मार्गदर्शन देने के लिये प्रकोष्ठ गठित किये जायेंगे। उद्यमिता विकास एवं व्यक्तित्व विकास के विशिष्ट कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे। प्रदेश के 4 शहरों में निजी भागीदारी की मदद से उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रक्षेत्र निर्मित किये जायेंगे। प्रदेश में केन्द्र शासन के सहयोग से 5 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है।

<u>खेल एवं युवक कल्याण</u>

56. युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु खेल भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार ने विगत दो वर्षों से प्रदेश में खेल सुविधाओं एवं गतिविधियों में विस्तार किया है। वर्ष 2006 में नेशनल सेलिंग स्कूल एवं महिला हॉकी अकादमी की स्थापना की गई है। प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सफलता मिल रही है। खेल सुविधाओं के विकास एवं गतिविधियों के विस्तार के लिये 2007–08 में आयोजना व्यय हेतु रूपये 25.10 करोड़ का प्रावधान है, जो वर्ष 2006–07 के बजट प्रावधान से दुगना है।

<u>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</u>

57. ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। वैज्ञानिक सोच के प्रचार–प्रसार हेतु मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। परिषद को वर्ष 2007–08 में रूपये 15.24 करोड़ अनुदान दिया जायेगा जो वर्ष 2006–07 में मात्र रूपये 4.68 करोड़ था।

<u>स्वास्थ्य</u>

58. स्वास्थ्य क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 82 प्रति हजार से घटकर 67 प्रति हजार तथा मातृ मृत्यु दर 498 प्रति लाख से घटकर 379 प्रति लाख हो चुकी है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के समन्वित प्रयास के कारण प्रदेश में विगत 2 वर्षो में यह प्रतिशत 27 से बढ़कर 52 तक पहुंच गया है।

59. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु आयोजना अंतर्गत वर्ष 2007–08 में रुपये 440.72 करोड़ का प्रावधान है।

60. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 29 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधोसंरचना एवं सुविधाओं का उन्नयन किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ चिकित्सकों को शासकीय आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में 270 स्थानो पर 1,164 आवासगृहों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

61. चिकित्सा शिक्षा की शीर्ष स्तरीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एलोपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के यूनानी, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी महाविद्यालयों एवं इनसे संबद्ध चिकित्सालयों में पदों का सृजन तथा अन्य सुविधाओं के उन्नयन हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

62. ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' इस मान्यता वाले हमारे देश में दुर्भाग्यवश आज स्थिति कुछ भिन्न है। नारी की पूजा के स्थान पर समाज का एक वर्ग उसे अभिशाप मानने लगा है। परिणामस्वरूप लिंग अनुपात में असंतुलन परिलक्षित है। बालिकाओं में शिक्षा तथा स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाने एवं उनके आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये **लाड़ली लक्ष्मी योजना** प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत एक जनवरी, 2006 के पश्चात् प्रदेश में जन्म लेने वाली बालिका के नाम पर प्रथम पांच वर्षों में राशि जमा की जायेगी। इस राशि से बालिका को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकन पर प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि दी जायेगी तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक लाख रूपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी। इस हेतु रूपये 24 करोड़ का प्रावधान है।

63. एकीकृत बाल विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों की ओर आकर्षित करने के लिये प्रत्येक मंगलवार को आंगनबाड़ी केन्द्र पर **मंगल दिवस** का आयोजन किया जाना है। इसमें नवजात शिशु एवं गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा और छोटे बालकों के अन्न प्राशन, जन्म दिन मनाकर उन्हें आंगनवाड़ी में नियमित आने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

64. जलपूर्ति तथा सफाई हेतु आयोजना मद में कुल राशि रूपये 568.89 करोड़ का प्रावधान है। समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय हेतु रूपये 120.10 करोड़ तथा फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के लिये रूपये 79.72 करोड़ का प्रावधान है।

65. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पेयजल योजनायें क्रियान्वित हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 10 हजार

बसाहटों तथा 1,600 ग्रामीण शालाओं में वर्ष 2007–08 में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

66. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक लगभग 13 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2007–08 के लिये ग्रामीण शौचालय कार्यक्रम अंतर्गत रूपये 12.73 करोड़ का प्रावधान है।

कर्मचारी कल्याण

67. हमारी सरकार अपने कर्मचारियों को प्रदेश के विकास में सहभागी भी मानती है, इस कारण हमने उनके हितों का सदैव ध्यान रखा है। इसी अवधारणा के अन्तर्गत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को देय मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते की राशि को दिनांक 1.4.2007 से महंगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया जाये। इससे सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग रूपये 348 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।

68. हमने अपने घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा कर्मियों तथा संविदा शिक्षकों की सेवाशर्तों के पुनरीक्षण के लिये दुबे समिति का गठन किया था। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षा कर्मियों तथा संविदा शिक्षकों में भेद समाप्त करते हुए उन्हें उन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। इससे उन्हें रूपये 650 प्रतिमाह से रूपये 1,700 प्रतिमाह तक का लाभ होगा तथा शासन पर प्रतिवर्ष रूपये 142 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आना अनुमानित है।

69. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि क्रमशः रूपये 300 एवं रूपये 150 प्रतिमाह दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर प्रति वर्ष रूपये 31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आना अनुमानित है।

70. पेंशनरों के मामले में भी मूल पेंशन एवं परिवार पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत की राशि को महंगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित किया जायेगा। इससे सरकार पर प्रति वर्ष लगभग रूपये 70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार अनुमानित है।

71. दिनांक 1.1.1996 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा अनुसार प्रस्तावित है। इससे राज्य सरकार पर लगभग रुपये 23 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। इस निर्णय से पेंशनरों एवं उनके परिवारों के साथ न्याय हो सकेगा।

<u>प्रशासनिक सुधार</u>

72. बेहतर सामाजिक–आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिये विभिन्न विभागों में मानव संसाधनों की कमी अनुभव की जा रही थी। साथ ही नयी पीढ़ी सरकार में भागीदारी के अवसर से वंचित थी। विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से सरकार ने भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को आंशिक रुप से शिथिल करने का निर्णय लिया है। इससे युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

73. प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श हेतु मंथन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्राप्त सुझाव अनुसार निर्माण विभागों में साख–पत्र प्रणाली 1 अप्रैल, 2007 से समाप्त की जा रही है। अब निर्माण कार्यो के लिए बजट आवंटन कोषालयों के माध्यम से उपलब्ध कराने से विलम्ब दूर होगा। प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए भोपाल में स्कूल आफ गुड गवर्नेन्स की स्थापना प्रस्तावित है।

74. वित्तीय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से निर्माण विभागों में इलेक्ट्रानिक टेन्डर प्रणाली प्रारंभ की गई है।

75. वर्ष 2006–07 से परिणामी बजट की प्रस्तुति प्रारंभ की गई है।

76. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक मुख्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने का प्रभाव उन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रदाय पर पड़ता है। इस कारण प्रथम चरण में ऐसे तहसील मुख्यालय, जो ग्राम पंचायत हैं, में आवासीय परिसर निर्माण प्रस्तावित है। जिस हेतु रूपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों में शासकीय कर्मचारियों द्वारा निजी आवास गृह निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

<u>न्याय प्रशासन</u>

77. न्यायालयों में लंबित मामले पक्षकारों के मध्य समझौते के द्वारा निपटाने में लोक अदालतों की महती भूमिका को देखते हुए प्रदेश के 43 सिविल जिलों में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया जायेगा।

जेण्डर बजट

78. वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की समानता और आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण हो गया है। इस उद्देश्य से इस वर्ष हम 13 विभागों की योजनाओं को महिला उत्थान की दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि इस अभ्यास को भविष्य में उन सभी विभागों तक विस्तारित किया जाये जो सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से जुड़े हैं। इस दृष्टिकोण से इस वर्ष जेण्डर बजट पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विशेष

79. प्रदेश के पांच जिलों–ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, रायसेन तथा सीधी में वर्तमान में निर्वाचन प्रक्रिया चालू है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार इन पांच जिलों से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित नवीन योजनाओं का समावेश बजट प्रस्तावों में नहीं किया गया है।

80. उपरोक्त समस्त तथ्यों से अब यह सुस्पष्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था एवं लोकवित्त दोनों ही सुधार पथ पर अग्रसर हैं।

भाग–दो

अध्यक्ष महोदय

1. राज्य में वैट प्रणाली वर्ष 2006–07 से लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व संग्रहण के आंकड़ो के अनुसार गत वर्ष वाणिज्यिक कर मद में प्राप्त राजस्व संग्रहण की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है तथा नान–वैट वस्तुओं से प्राप्त कर राजस्व में लगभग 28 प्रतिशत की वृध्दि परिलक्षित हुई है। वैट प्रणाली अंतर्गत कर उत्प्लावकता ;इनवलंदबलद्ध की प्रवृत्ति को बनाये रखने का हमारा प्रयास होगा।

2. वैट

2.1 डीजल पर वैट को कम करने का वादा हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था। किसानों तथा गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये हमने डीजल पर देय वैट दर 28.75 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इससे आगामी वर्ष में रुपये 178 करोड़ राजस्व की हानि अनुमानित है। बढ़ती हुई मंहगाई को कुछ कम करने के लिये हम अपनी सीमाओं में रहकर यह प्रयास कर रहे हैं।

2.2 प्रदेश में वैट लागू होने के पश्चात् हमने आम आदमी के उपयोग की अनेक वस्तुओं पर वैट की दरों में कमी की है अथवा दरों को शून्य किया है। इसी क्रम में ठण्डाई तथा शर्बत पर देय वैट दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना प्रस्तावित है। इससे आगामी वर्ष में रुपये 16 लाख के राजस्व की हानि अनुमानित है।

2.3 प्रदेश में लाख पर 4 प्रतिशत की दर से वैट देय है। लाख का उत्पादन छोटे आदिवासी कृषकों व्दारा किया जाता है। अतः लाख पर वैट की दर शून्य किया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रवेश कर

3.1 नगरीय अधोसंरचना विकास एवं सेवाओं के विस्तार के लिये सरकार व्दारा स्थानीय निकायों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त संसाधन आवश्यक हैं। प्रवेश कर मद में प्राप्त राजस्व स्थानीय निकायों के लिये महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन है। अतः यह प्रस्तावित है कि प्रवेश कर की दरों की संख्या में कमी करते हुये उसका युक्तियुक्तकरण किया जाये।

3.2 युक्तियुक्तकरण की नीति के अंतर्गत 0.5 प्रतिशत की दर समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

3.3 सिलाई एवं बुनाई की मशीनें एवं पुर्जे, शुध्द घी तथा बेबी फूड और समस्त प्रकार के पंम्पिग सेट एवं हाथ करधा निर्मित साड़ियों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल जैसे सिल्क, जरी आदि पर दर शून्य करना प्रस्तावित है।

3.4 निम्न वस्तुओं पर भी देय प्रवेश कर की दर 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना प्रस्तावित हैः—

(1) टायलेट सामग्री, नहाने तथा कपड़े धोने के साबुन एवं डिटर्जेन्ट

(2) समस्त प्रकार के बर्तन (एल्यूमिनियम से बने बर्तन, रसोई के बर्तन,थर्मस फलास्क एवं वैक्यूम फलास्क को छोड़कर)

(3) दोपहिया, तीनपहिया साईकिल, पुर्जे, टायर्स एवं टयूब्स

(4) रेडीमेड कपड़े, होजियरी का सामान

(5) किराना सामान, जिसमें सुपारी, सूखे मेवे, पिण्ड खजूर, मसाला तथा गुड़ शामिल है।

(6) वनस्पति घी

(7) क्राकरी

3.5 निम्न वस्तुओं पर देय प्रवेश कर एक प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित हैः—

(1) टैलीकम्युनिकेशन टावर एवं उनके पुर्जे

(2) कम्युनिकेशन के समस्त उपकरण

(3) सभी प्रकार का फर्नीचर

(4) विस्फोटक

(5) बटुए (पर्सेस), लेडीज हेण्ड बेग्स और वेनिटी बेग्स, सूटकेस, ब्रीफकेस, अटैची केस और डिस्पेच केस

(6) रेफ्रीजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, एयर कण्डिशनर्स, एयर कूलर्स और उनके पुर्जे

(7) तेन्दु पत्ता

(8) ल्यूब्रिकेन्टस

3.6 कोयला, जिसमें समस्त प्रकार का कोक सम्मिलित है, पर प्रवेश कर की प्रभावी दर एक प्रतिशत है। इसे 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

3.7 लोहा और इस्पात पर वर्तमान में दो दरें प्रभावशील है–1.5 प्रतिशत तथा एक प्रतिशत। अब लोहा और इस्पात पर प्रवेश कर की दर दो प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

3.8 ग्लास एवं ग्लास सीट तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल) एवं बीयर पर वर्तमान में प्रवेश कर देय नही है। इन वस्तुओं पर दो प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाना प्रस्तावित है।

3.9 उपर्युक्त युक्तियुक्तकरण के उपायों के फलस्वरूप आगामी वर्ष में लगभग रूपये 54 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

उपसंहार

इन सब उपलब्धियों एवं सफलताओं के बावजूद लक्ष्य अभी दूर है। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश को सर्वाधिक विकसित प्रदेशों की पंक्ति में प्रतिष्ठित करना तथा प्रत्येक नागरिक को सुखी बनाना ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखभागभवेत् ।

लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा ?

जुस्तजूं हो तो सफर खत्म कहॉ होता है,
यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमॉ होता है ।

मैं अपना बजट भाषण श्री अटल बिहारी वाजपेयी की निम्न पंक्तियों के साथ पूर्ण करता हूॅ।

किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी,
यह जीवन का ज्वाल चली, उफनाती प्रखर जवानी ।
युवक हार जाते हैं, लेकिन यौवन कभी न हारा,
एक निमिष की बात नहीं, है चिर संघर्ष हमारा ।

जय मध्यप्रदेश, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय

मैं अब वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक का उपस्थापन करता हूॅ।